न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद पत्र सख्या 20/2016

1. श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. श्री सरदारा
2. श्री अनवर हुसैन पुत्र स्व. श्री सरदारा
3. श्री सलीम पुत्र स्व. श्री सरदारा
4. श्रीमती हमीदा पुत्री स्व. श्री सरदारा
5. श्रीमती बिस्मिल्ला पुत्री स्व. श्री सरदारा
6. श्रीमती आमना पुत्री स्व. श्री सरदारा
7. श्री सत्तार पुत्र स्व. श्री अल्लानूर
8. श्रीमती नैना पुत्री स्व. श्री अल्लानूर
9. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. श्री अल्लानूर
10. श्री कूका पुत्र श्रीमती अमराव दोहिता स्व. अहमदा
11. श्री पप्पू उर्फ जलाल पुत्र श्रीमती मेहफूल दोहता स्व. अहमदा
12. श्रीमती सोहनी पुत्री श्रीमती मेहफूल दोहती स्व. श्री अहमदा
13. श्रीमती सुगना पुत्री श्रीमती मेहफूल दोहता स्व. श्री अहमदा
14. श्रीमती रूकमा पुत्री श्रीमती मेहफूल दोहता स्व. श्री अहमदा
    समस्त जाति मेहरात निवासीयान नाहर मंगरा हमीरा सुबेदार का बाडिया, (नाडी) पंचायत झाक, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्री लाडू पुत्र स्व. श्री अहमदा जाति मेहरात निवासी नाहर मंगरा, हमीरा सुबेदार का बाडिया (नाड) पंचायत झाक तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
2. श्री शकुर पुत्र श्रीमती मेहफूल दोहता स्व0 श्री अहमदा जाति मेहरात निवासी नाहर मंगरा, हमीरा सुबेदार का बाडिया (नाड) पंचायत झाक तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, मसूदा (राज0) ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील, मसूदा जिला अजमेर (राज0)

.....प्रत्यर्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.08.2016

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा नाडी पटवार क्षेत्र झाक तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2069 से 72 के खाता सं 704 कुल खसरा किता 15 रकबा 1–12–10 बीघा भूमि अजीमा व अहमदा पि. हमीरा जी की संयुक्त खातेदारी में चली आती थी । जिनमें वदीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो कि स्व. अहमदा जी की जिवित औलादे है और विवादित भूमियों पर संयुक्त रूप से काबिज चले आते है । लेकिन सेटलमेंट 1970–71 में प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत करके अपने आपको स्व0 अहमदा का अकेला वारिस बताकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम लगवा ली है जो वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 से चला आ रहा है । जबकि विवादित भूमियों में वादी सं0 1 से 6 का 1/10 व 7 से 9 का 1/10 व वादी सं0 10 का 1/10 तथा वादी सं. 11 से 14 एवं प्रतिवादी सं0 2 सहित 1/10 तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/10 हिस्सा निहीत चला आता है । अजीमा जी के 1/2 हिस्से में उनके वारिसान काबिज काश्त चले आते है और वाद में उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है । विवादित आराजियात अजीमा व अहमदा पिता हमीरा जी की होने की पुष्टी के लिए जमाबंदी संवत् 2018–2021 की प्रमाणित प्रति पेश की जाती है ।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रतिवादी सं0 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र में अभिलेख की स्थिति से विवादित आराजियात में अजीमा व अहमदा पिता हमीरा बहिस्से बराबर 1/2–1/2 से हिससेदार होना बताया तथा निवेदन किया है कि प्रथम दृष्टिया मामला रेकार्ड दुरूस्ती का बनता है । ऐसी स्थिति में तनकियात कायम करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती । शहादत वादी में वादी 1 मोहम्मद हनीफ व वादी सं 10 कूका तथा स्वतंत्र गवाह साजन पुत्र दल्ला ने वादी कथनों की ही पुष्टी की है ।

बहस वकील वादीगण एक तरफा सुनी गई । उसके तर्क वाद कथनानुसार ही रहे है । मैने पत्रावली प्रदर्श 9 जमाबंदी सं0 2018 से 21 के खाता सं0 465 में विवादित आराजी के खातेदार आजीमा व अहमदा पिता हमीरा खातेदार दर्ज है । प्रदर्श 10 मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार वर्तमान नम्बर कायम हुए है । प्रदर्श 4 वर्किंग जमाबंदी है यहीं से नये नम्बरों में अकेला लाडू वल्द अहमदा स्व0 अहमदा जी के 1/2 हिस्से में खातेदार कायम हुआ है अन्य प्रदर्श 3 से 8 वर्किंग जामबंदी से आगे की रोटेशन जमाबंदियां है जिनमे लाडू दर्ज चला आता है । प्रदर्श 1 सजरा व 2 नक्शा ट्रेस है । अभिलेख की स्थिति अनुसार सहवन से अहमदा जी के 1/2 हिस्से की आराजी उनके पुत्र प्रतिवादी सं0 1 लाडू के नाम लगा दी गई है जबकि अहमदा जी के वादीगण सहित प्रतिवादी 1 व 2 जिवित वारिसान है उन सबके लगाई जानी चाहिये थी । एसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम झाक तहसील ब्यावर की जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता सं 465 कुल खसरा किता 12 रकबा 1–10–00 जिसके वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता सं 704 के खसरा नम्बर 8717 रकबा 0–01–10 बारानी 2, 8718 रकबा 0–01–10 बारानी 2, 8719 0–01–00 बारानी 2 8720 रकबा 0–02–00 बारानी 2, 8721 रकबा 0–00–10 बारानी 1, 8724 रकबा

0–03–00 बारानी 1, 8725 रकबा 0–02–10 बारानी 2, 8726 रकबा 0–01–10 चाही 1, 8727 रकबा 0–04–10, 8728 रकबा 0–03–00 चाही 1, 8729 रकबा 0–05–0 चाही 1, 8732 रकबा 0–02–0 चाही 1, 8733 रकबा 0–02–0 चाही 1, 8734 रकबा 00–02–00 चाही 2, 8735 रकबा 0–00–10 गै.मु.चा. कुल खसरा किता 15 रकबा 1–12–10 है जिनमें स्व0 अहमदा पुत्र हमीरा के 1/2 हिस्से में तन्हा लाडू पुत्र अहमदा के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को सह खातेदार घोषित किया जाता है । साथ ही यह भी घोषित किया जाता है कि वादी संख्या 1 से 6 इसमे 1/10 व 7 से 9 इसमें 1/10 व वादी 10 अकेले 1/10 तथा वादी सं0 11 से 14 एवं प्रतिवादी सं0 2 सहित 1/10 तथा प्रतिवादी सं 1 अकेले 1/10 हिस्से से हिस्सेदार है । यथानुसार दुरूस्ती कर राजस्व अभिलेखों में अमल करने के आदेश पारित किये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हिस्से की भूमियों में दखलंदाजी से निषेध किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2016. को न्यायालय हाजा पर सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: